105
12/8/83

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक प0 11(35)राज/ग्रुप-8/83 जयपुर, दिनांक 30 जुलाई, 1983

अधिसूचना

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 1014/3/72 एफ0 आर0 आई0/ डबल्यू00 एल0 एफ0 दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18(1) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली कोटा जिले की भूमियों को उनकी परिस्थिति व प्राणिजातिय व वन स्थानीय भूसंरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये एतद् द्वारा वन जीव अभ्यारण्य घोषित करती है जिससे भविष्य में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जायेगा एवं उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये नये आदेशों के उपबन्ध का विषय होगा ।

अनुसूची

क्र0 सं0	क्षेत्र	तहसील	जिला	सीमायें	वि0 वि0
1	शेरगढ़	अटरू	कोटा	उत्तरः- वन खंड बारापाटी छोटी डूंगर की वन सीमायें । दक्षिणः- वन खंड बड़ा डूंगर, टोकली, नाहरिया की वन खंड सीमायें । पूर्वः- वन खंड छोटी डूंगर नाहरिया की वन खंड सीमायें । पश्चिमः- वन खंड बारापाटी बड़ा-डूंगर की वन खंड सीमायें ।	

राज्यपाल की आज्ञा से

(आनन्द मोहन लाल)
राजस्व सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजस्थान, जयपुर को असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
2) मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
3) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
4) पुलिस महानिरीक्षक/ महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल, जयपुर
5) उप महानिरीक्षक, पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर
6) उप महानिरीक्षक, आर0 ए0 सी0, जयपुर

[illegible] है कि वह वन्य जीव